भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 503

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

503. **श्री नरेश गणपत म्हस्के:**
श्री राजेश वर्मा:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री निशिकान्त दुबे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत शुरू में शामिल किए गए पारंपरिक व्यवसायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के तहत प्रदान किए गए कौशल विकास/उन्नयन, वित्तीय/ऋण सहायता और विपणन सहायता का ब्यौरा क्या है और इस तरह की सहायता के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों ने यह सहायता मांगी है;

(घ) क्या योजना पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई उपाय अपनाती है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार लाभान्वित कारीगरों/लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(च) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित, वितरित/उपयोग की गई निधि कितनी है और इसकी शुरुआत से अब तक झारखंड सहित राज्यवार क्या प्रभाव पड़ा है; और

(छ) सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम 18 व्यापारों में कार्यरत कारीगर और शिल्पकार, जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते है, को सम्पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई थी। इस स्कीम के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल हैं। इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

क. कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना, ताकि वे योजना के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन सकें।

ख. उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना तथा उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।

ग. उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।

घ. लाभार्थियों को जमानत मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना तथा ब्याज मे छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।

ङ. विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

च. ब्रांड प्रमोशन और बाजार संपर्क के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि उन्हें विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद मिल सके।

(ख) : इस स्कीम में 18 व्यापारों अर्थात (i) कारपेंटर (सुथार/बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) धातुशिल्पी; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थत तोड़ने वाला; (x) मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ु बनाने वाला/कॅयर बुनकर; (xiii) गुडिया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलेंड मेकर (मालाकार); (xvi) वाशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) फिशिंग नेट निर्माता व्यापारों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

(ग) : कौशल घटक के तहत, लाभार्थियों को 5-7 दिनों का आधारभूत प्रशिक्षण और 15 दिनों का उन्नत प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान लाभार्थियों को 1,000 रुपए के यात्रा व्यय के साथ 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाईपेंड वेतन मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाता है।

क्रेडिट घटक के अंतर्गत, 5% की रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल-मुक्त उद्यम विकास ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसकी कुल ऋण सहायता राशि 3,00,000 रुपए है। लाभार्थी ऋण की 1,00,000 रुपए तक की पहली किस्त चुकाने तथा पहली ऋण किस्त के भुगतान के बाद 2,00,000 रुपए तक की दूसरी ऋण किस्त का लाभ उठा सकते हैं।

विपणन घटक के तहत, लाभार्थियों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। कारीगरों को और उनके शिल्प और कौशल का संवर्धन करने के लिए पूरे देश में व्यापार मेले और प्रदर्शिनियां आयोजित की जाती हैं।

दिनांक 17.09.2023 को इस योजना की शुरुआत के बाद से दिनांक 31.01.2025 तक, इस स्कीम के तहत पूर्ण किए कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋण और आयोजित किए गए व्यापार मेले एवं प्रदर्शिनियों का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : इस स्कीम के माध्यम से प्रदान की गई सहायता न केवल पारंपरिक रूप से चली आ रही सांस्कृतिक प्रथाओं और पीढ़ीगत कौशल के संरक्षण में योगदान देती है, बल्कि इन कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान और मान्यता भी प्रदान करती है।

(ङ) : दिनांक 31.01.2025 तक, कुल 27.08 लाख लाभार्थियों ने स्कीम का लाभ उठाने के लिए पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण किया है। दिनांक 17.09.2023 को इस योजना की शुरुआत के बाद से दिनांक 31.01.2025 तक पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(च) और (छ) : चूंकि पीएम विश्वकर्मा एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। दिनांक 31.01.2025 तक स्कीम के तहत कुल संस्वीकृत निधि और व्यय की गई राशि, जिसमें जागरुकता सृजन भी शामिल है, का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपए में)**	**किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)**
2023-24	753.11	745.92
2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)	4,000	3,135.51

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 503, जिसका उत्तर दिनांक 06.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 17.09.2023 से दिनांक 31.01.2025 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुल पंजीकरण, पूर्ण किए गए कौशल प्रशिक्षण, संस्वीकृत ऋण और आयोजित किए गए व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकरणों की संख्या	प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण की संख्या	संस्वीकृत ऋणों की संख्या	आयोजित किए गए व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,03,296	1,23,638	25,538	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	4,865	162	16	0
3.	असम	1,06,173	65,662	9,064	2
4.	बिहार	1,08,965	55,345	8,342	5
5.	छत्तीसगढ़	1,14,624	61,733	5,275	1
6.	गोवा	18,372	6,317	446	2
7.	गुजरात	2,06,555	1,61,255	33,579	4
8.	हरियाणा	35,250	19,797	4,007	1
9.	हिमाचल प्रदेश	19,257	8,399	952	3
10.	जम्मू और कश्मीर	1,52,212	1,17,205	11,682	1
11.	झारखंड	36,597	21,800	2,801	3
12.	कर्नाटक	5,48,345	4,08,679	78,980	5
13.	केरल	21,758	6,899	2,039	3
14.	मध्य प्रदेश	2,43,077	1,47,549	20,347	4
15.	महाराष्ट्र	2,42,894	1,44,706	26,106	2
16.	मणिपुर	12,987	3,444	541	1
17.	मेघालय	1,844	53	0	0
18.	मिजोरम	3,206	310	9	1
19.	नागालैंड	3,269	734	107	1
20.	ओडिशा	96,855	48,947	6,112	3
21.	पंजाब	11,481	4,474	603	3
22.	राजस्थान	2,28,432	1,70,655	36,571	4
23.	सिक्किम	2,277	386	35	1
24.	तमिलनाडु	1	0	0	0
25.	तेलंगाना	77,790	49,814	16,183	4
26.	त्रिपुरा	20,230	12,860	2,907	2
27.	उत्तर प्रदेश	1,60,722	86,398	6,308	9
28.	उत्तराखंड	19,172	8,077	503	3
29.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	731	364	24	2
31.	चंडीगढ़	244	73	13	0
32.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	724	333	43	1
33.	दिल्ली	1,669	143	20	0
34.	लद्दाख	3,664	1,702	307	2
35.	लक्षद्वीप	671	0	0	1
36.	पुडुचेरी	749	86	20	2
	कुल	**27,08,959**	**17,37,999**	**2,99,480**	**79**